52

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 3078–दो/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 21–6–2012 – पारित द्वारा – नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा – प्रकरण कमांक 15अ–12/2011–12

मारकण्डेय पुत्र ललिता पाठक
ग्राम गोरा तहसील सेमरिया
जिला रीवा मध्य प्रदेश । ———आवेदक

विरूद्ध

1– रामशिरोमणि पाठक पुत्र भुवनेश्वर
ग्राम गोरा तहसील सेमरिया
जिला रीवा मध्य प्रदेश

2– म0प्र0शासन ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री अजय पाठक)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री रजनीश मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 2-08-2018 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 15 अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 21–6–2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने उसके स्वामित्व की मौजा गोरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 48/2, 49/1, 143 के सीमांकन की मांग की, जिस पर से नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर

तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 15 अ-12/2011-12 पॅजीबद्ध किया तथा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक वृत्त शाहपुर से सीमांकन कराने का निर्णय लिया। राजस्व निरीक्षक वृत्त शाहपुर ने दिनांक 26-5-2012 को स्थल पर जाकर ग्रामीण पंचों के समक्ष सीमांकन कार्य किया तथा नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा को सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक से सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया ने प्रकरण क्रमांक 15 अ-12/2011-12 में आदेश दिनांक 21-6-2012 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्क सुने , आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के लेखी तर्को पर विचार करने, अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया ने प्र0क्र0 15 अ-12 / 2011-12 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 26-5-2012 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्य किया है। सीमांकन उपरांत तैयार किये गये पंचनामे पर ग्रामीणों के हस्ताक्षर है एंव पंचनामे की भाषा इस प्रकार है -

'' 2-5-12 दिन शनिवार को ग्राम गौरा की. आ.क्र. 48/2, 43/1, 143 का विधिवत् सीमांकन रा.नि. वृत्त शाहपुर एंव हलका पटवारी द्वारा सीमांत कास्तकारों एंव गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिती में किया गया। सीमांत कास्तकारों को उनकी सीमा बताई जाकर सीमा चिन्ह गड़वाये गए। मौके सेकोई आपत्ति पेश नहीं आयी। दवा रकबा मारकण्डेय पिता ललिता के कब्जे में 0.12 ढि. पाया गया।''

राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन 26-5-2012 पर से नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया ब्धारा आदेश दिनांक 21-6-12 पारित किया गया है क्योंकि सीमांकन कार्य दिनांक 26-5-12 से आदेश दिनांक 21-6-12 पारित करने की अवधि में किसी ग्रामीण ने किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। स्पष्ट है कि आवेदित भूमि का सीमांकन संहिता की धारा 129 में विहित प्रावधानों का पालन करते हुये किया गया है यदि आवेदक किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है एंव वह किये गये सीमांकन से स्वयं् की भूमि प्रभावित होना मानता है, तब वह अपनी भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख से ई.टी.एस.एम. से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 15 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21-6-2012 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 15 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21-6-2012 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर